

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या.....181...../2026
सं0सं0-अ0नि0 (02) 55/2026/नि0सं0

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1164(24) दिनांक 05.06.2026 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री शांति कुमार मिश्र, उप निदेशक/मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत पत्नी की चिकित्सा हेतु दिनांक 27.04.2026 से 17.05.2026 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
उप सचिव।

ज्ञापांक: अ0नि0 (02) 55/2026/नि0सं0..... दिनांक.....
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/श्री शांति कुमार मिश्र, उप निदेशक/मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/-
उप सचिव।

ज्ञापांक अ0नि0 (02) 55/2026/नि0सं0.....1682..... दिनांक 30/6/26
प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव।

[Signature]